

**सिंचाई  
विभाग**

**1. एडवांस पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान प्रणाली**

सहयोगी संस्थान- मौसम विभाग नई दिल्ली, केन्द्रीय जल आयोग, RSAC, NRSC, ISRO

**योजना के प्रमुख बिन्दु:-**

- ❖ एडवांस्ड डैशबोर्ड
- ❖ वर्षा के आंकड़ों की सुगम उपलब्धता
- ❖ मैप्ड मॉडलिंग
- ❖ एडवांस्ड एनालिटिक्स सिस्टम
- ❖ एक्सटेन्डेड मैप
- ❖ वार्निंग डिसैमिनेशन
- ❖ बाढ़ सुरक्षा उपाय (जल निकासी, जल चैनल, पानी का सुरक्षित उपयोग, जल दक्षता)

**2. स्वचालित नदी प्रवाह गेजिंग और जलाशय निगरानी प्रणाली (आवाह, बहिर्वाह स्तर) की स्थापना**

- बांधों से पानी के निर्वहन के लिए पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना
- तटबंध का सुदृढीकरण
- तटबंध/बांध सुरक्षा उपायों में वृद्धि और संपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के साथ एकीकरण

**3. One-stop solution for Flood and Drought management**

सहयोगी संस्थान- मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, सिंचाई, ग्राउन्ड वाटर विभाग, रिमोट सेन्सिंग,

**योजना के प्रमुख बिन्दु:-**

- मौसम का पूर्वानुमान उपलब्ध कराना।
- प्रमुख बांधों/रिजर्व वायर में उपलब्ध जल स्तर एवं मात्रा की डैशबोर्ड के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराना
- वर्षा के आंकड़ों को डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराना
- मिट्टी में उपलब्ध नमी की मात्रा को उपलब्ध कराना
- भूमिगत जल स्तर की मात्रा को उपलब्ध कराना
- प्रमुख बांधों/ रेजेरवॉइर के छोड़े जाने वाले पानी के आँकड़े तथा उससे संभावित फ्लड इननडेशन वाले क्षेत्र का अनुमान उपलब्ध कराना
- नियमित गाद की स्थिति को उपलब्ध कराना

**4. वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और वर्षा संचयन प्रौद्योगिकी का विकास**

**5.** Develop forecasting models for discharge of water from dams.

**6.**

1. फ्लड प्लेन ज़ोनिंग और फ्लड इननडेशन मैनेजमेंट के लिए

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>रेगुलेटरी फ्रेमवर्क</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. आर.सी.सी पॉक्यूपाइन तकनीक</li> <li>3. प्रमुख बांधों के लिए संचालन नियमावली की समीक्षा और अद्यतनीकरण</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| लघु सिंचाई | <p>1. प्रदेश के समस्त स्थानीय जलाशयों/ तलाबों/बावडियों एवं सिंचाई हेतु उपयोग होने वाले नलकूपों का अनलाइन मोनीटरिंग</p> <p>सहयोगी संस्थान- मौसम विभाग, सिंचाई, ग्राउन्ड वाटर विभाग, रिमोट सेन्सिंग,</p> <p>योजना के प्रमुख बिन्दु:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जलाशयों/ तलाबों/बावडियों एवं सिंचाई हेतु उपयोग होने वाले नलकूपों का रखरखाव एवं उनके जिओ टैगिंग करना</li> <li>• जलाशयों/तालाबों/बावडियों में उपलब्ध जलस्तर का डाटा इन्टीग्रेटेड डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराना</li> <li>• सूख रहे जलाशयों/तालाबों/बावडियों का डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनको पुनर्जीवित करने के सुझाव उपलब्ध कराना</li> <li>• जलाशयों/तालाबों/बावडियों में डूबने से होने वाली घटनाओं की रोकथाम हेतु जलाशयों के चारों ओर फ्रैन्सिंग/सीडियों का निर्माण/चबूतरे का निर्माण</li> </ul>                                                                                          |
| चिकित्सा   | <p>1. एडवांस्ड डिजीज सर्विलांस तथा डिजास्टर रिस्क एनालिस्टिक</p> <p>सहयोगी संस्थान- चिकित्सा विभाग, रिमोट सेन्सिंग</p> <p>योजना के प्रमुख बिन्दु:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• एडवांस्ड डैशबोर्ड का विकास करना</li> <li>• डिजीज सर्विलांस डाटा को सुगम तरीके से आम जन-मानस को उपलब्ध कराना</li> <li>• प्रत्येक सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल/पी.एच.सी./सी.एच.सी. को जियो टैग करना तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं यथा उपचार की तकनीकी/मशीनरी, बेडों की संख्या, उपलब्ध स्टॉफ आदि की सूचना को ONE STOP SOLUTION के माध्यम से इन्टीग्रेटेड डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराना</li> <li>• विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही आदि की सूचना उपलब्ध कराना</li> <li>• सूचनाओं का विस्तृत विवरण राज्य स्तर जिला स्तर के साथ साथ आम जनमानस को उपलब्ध हो सकें</li> </ul> <p>2. चिकित्सा विभाग के आपदा संवेदनशील निर्माणों का स्ट्रक्चरल ऑडिट</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• एक्सपर्ट एजेंसी से निर्माणों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना तथा अतिसंवेदनशील संरचनाओं का स्थानान्तरण/रेट्रोफिटिंग करना</li> </ul> <p><b>3. सड़क दुर्घटनाओं के लिए क्लिक मोबाइल रेस्पॉन्स टीम (क्यू.एम्.आर.टी) का विकास</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| लोक निर्माण         | <p><b>प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर की संरचनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ पंजीकरण के आधार पर संरचनाओं का समस्त डाटा उपलब्ध कराना यथा             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ संरचना के बनने की दिनांक,</li> <li>○ कुल क्षेत्रफल जिसमें भवन का निर्माण किया गया है,</li> <li>○ संरचना की समुद्र तल से ऊँचाई,</li> <li>○ किस सेस्मिकजोन में आता है इत्यादि की जानकारी,</li> <li>○ आस-पास के मौजूदा खतरों की जानकारी,</li> <li>○ संरचना के क्षेत्र की लैण्डयूज पैटर्न की जानकारी तथा भविष्य बनाये जाने वाले निर्माणों के लिए सुझाव उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल का विकास।</li> </ul> </li> <li>✓ Structural safety audit of all critical lifeline structures</li> </ul> |
| गृह/अग्निशमन        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• सभी पुलिस कर्मियों के लिए हर वर्ष फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का आयोजन</li> <li>• राज्य में अग्निकांड जैसी आपदाओं से निपटने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर जियों टैगिंग</li> <li>• अग्निकांड की घटनाओं को त्वरित निस्तारित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल MIS का निर्माण,</li> <li>• त्वरित रिस्पॉन्स हेतु विभाग का क्षमता निर्माण</li> <li>• Training Police/ Civil Defence/ Home Guards/ NSS/ NCC /NYKS / Bharat Scouts &amp; Guide in Disaster Management</li> <li>• Training and sensitization programmes</li> <li>• Training for psycho-social support for the disaster-affected people</li> </ul>                                                      |
| आवास और शहरी नियोजन | <ul style="list-style-type: none"> <li>• सिटी डेवलपमेंट प्लान को डिजास्टर रेजीलिएंस के आधार पर विकास करना</li> <li>• असुरक्षित निर्माणों क्षतिग्रस्त ढांचे एवं निर्माण हेतु सुरक्षित क्षेत्रों एवं दिशा निर्देशों की सुगम उपलब्धता के लिए MIS का विकास</li> <li>• मौसम संबंधी महत्वपूर्ण चेतावनियों (वर्षा की चेतावनी, आंधी तूफान आकाशीय विद्युत भूकम्प आदि को प्राप्त कर शहरी क्षेत्र में रह रहे निवासियों को उपलब्ध कराने हेतु अर्ली वार्निंग प्रणाली की परियोजना का विकास</li> <li>• आपदा रोधक संरचना - बाढ़ नियंत्रण के लिए शहरी बस्तियों में मौजूदा स्टॉर्म वाटर और जल निकासी प्रणालियों को नया स्वरूप</li> </ul>                                                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>देना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सेमि-अर्बन, पेरि-अर्बन और स्लम क्षेत्रों को आपदा से सुरक्षित करना</li> <li>• सुरक्षित विक्रेता क्षेत्र की पहचान</li> <li>• स्लम कल्याण</li> <li>• शहरी जल निकायों का संरक्षण</li> <li>• सभी महत्वपूर्ण लाइफ लाइन संरचनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा जांच करना</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पंचायतीराज                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• पंचायत स्तर पर क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण देने हेतु कार्ययोजना का विकास</li> <li>• आपदा रोधक संरक्षणा (क्षमता निर्माण, पुराने भवनों की रेट्रोफिटिंग, नवीनतम मानकों का पालन करते हुए नए भवनों का निर्माण)</li> <li>• जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जोखिम-सूचित जी.पी.डी.पी का विकास</li> <li>• आपदाओं से संवेदनशील गांवों/बस्तियों में बहुउद्देश्यीय आश्रयों का निर्माण</li> <li>• मनरेगा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से बाढ़ प्रतिरोधी निर्माण के लिए स्थलों का मानचित्रण</li> </ul> |
| पशुपालन/डेयरी विकास            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• आपदा रोधक पशुपालन प्रथाओं पर क्षमता निर्माण</li> <li>• आजीविका क्लस्टर विकास</li> <li>• टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| शिक्षा (बेसिक, मध्य और उच्च)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर पाठ्यक्रम का विकास</li> <li>• जोखिम के प्रति संवेदनशील होने के लिए निगरानी संकेतकों का संशोधन</li> <li>• आपदा रोधक संरचना (सुरक्षित और हरित विद्यालय)</li> <li>• मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा</li> <li>• आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए क्षमता निर्माण</li> <li>• Training to increase capacity for risk and vulnerability analysis</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| ग्रामीण विकास                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRR पर एस.आर.एल.एम की क्षमता निर्माण</li> <li>• सुरक्षित निर्माण पर ग्रामीण राजमिस्त्रियों का क्षमता निर्माण</li> <li>• ग्रामीण आवासों में कम लागत वाली बाढ़ प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना</li> <li>• सभी महत्वपूर्ण जीवन रेखा संरचनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा लेखा परीक्षा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्तर प्रदेश जल निगम प्रशासनिक | <ul style="list-style-type: none"> <li>• चेक डैम/बैराज/डायवर्सन नहरों और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थलों का मानचित्रण</li> <li>• डी.आर.आर, Sendai framework पर राज्य प्रशासनिक</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| सुधार             | अधिकारियों की क्षमता निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिवहन विभाग      | <ul style="list-style-type: none"> <li>सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के बीच समन्वय करके L2 और L3 आपदाओं के दौरान क्रिटिकल पॉइंट्स का मानचित्रण करना</li> <li>सुरक्षित यातायात नियमों की जानकारी आम जन-मानस तक पहुँचाने हेतु मॉड्यूल तैयार करना पर ड्राइवरों को संवेदनशील बनाना</li> <li>पेट्रोल पंप संघों के साथ समन्वय</li> <li>आपदा से बचाव हेतु जन जागरूकता के लिए सड़कों पर वार्निंग संकेत</li> </ul> |
| पिछड़ा कल्याण     | <ul style="list-style-type: none"> <li>जागरूकता पैदा करना और बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पहुंच में सुधार करना</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| लोक निर्माण कार्य | <ul style="list-style-type: none"> <li>आपदा रोधक संरचना (आल वेदर रोड्स)</li> <li>जोखिम-स्थलों का मानचित्रण</li> <li>सुरक्षा साइनेज़</li> <li>जन जागरूकता बढ़ाना</li> <li>सार्वजनिक कार्यों के सुरक्षित निर्माण के लिए दिशा-निर्देशों का विकास</li> <li>सभी महत्वपूर्ण जीवन रेखा संरचनाओं की संरचनात्मक सुरक्षा लेखा परीक्षा</li> </ul>                                                               |
| युवा कल्याण       | <ul style="list-style-type: none"> <li>DRR पर युवाओं का क्षमता निर्माण</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |